(47)

अनुसूचित जनजाति उपयोजनान्तर्गत

संख्याः– 6483 / III(2)/11–63(एम0एल0ए0)/2010

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 30 नवम्बर, 2011

विषयः– जनपद उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र–खटीमा के अन्तर्गत विभिन्न 08 कार्यो की द्वितीय चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्याः–5322/III(2)/10–63(एम0एल0ए0)/2010 दि0 01–10–2010 के क्रम में मुख्य अभियन्ता, कु0क्षे0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा द्वारा जनपद उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र–खटीमा के अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये 08 कार्यो के विस्तृत आगणनों, लम्बाई 19.895 किमी0 पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोंपरान्त पाई गई औचित्यपूर्ण लागत ₹ 852.26 लाख (₹ आठ करोड़ बावन लाख छब्बीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में व्यय हेतु, संलग्नक के कॉलम–5 पर उल्लिखित विवरणानुसार कुल ₹ 42.33 लाख (₹ बयालीस लाख तैंतीस हजार मात्र) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(i) विस्तृत आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय–सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(iv) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग मे लाई जाय।

(v) आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(vi) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(vii) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(viii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(ix) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

महिमा

(x) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(xi) यदि संलग्न कार्यो में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराषि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस षासनादेष द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(xii) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2012 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्यो के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय निर्माणधीन चालू कार्यो की मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xi) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xiii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)– इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 में लोक निर्माण विभाग के **अनुदान सं0–31** –लेखाषीर्शक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत–796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–01 नया निर्माण कार्य–00–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जाग्रेगा ।

3– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 250/XXVII/(2)/2011 दिनांकः 28 नवम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(महिमा)
अनु सचिव

संख्याः– 6483 (1)/III(2)/11–63(एम0एल0ए0)/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर
4. मुख्य अभियन्ता, कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/उधमसिंहनगर।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लो0नि0वि0 हल्द्वानी।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, खटीमा।
10. लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन ।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

महिमा

(महिमा)
अनु सचिव